न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 54 / 2024
किस्म :— वाद
दायर दिनांक : 03.04.2024

अनवान

1. शंकरलाल पिता उदा जाति सरगडा निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद
2. शांतिलाल पिता उदा जाति सरगडा निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद .....वादीगण

बनाम

1. भगवतीलाल पिता सुखदेव जाति ढोली निवासी लछिपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद .....प्रतिवादीगण

उपस्थिति:— वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से :—अधिवक्ता चावण्डसिंह शक्तावत

निर्णय

दिनांक 29.01.2026

वादी अधिवक्ता ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा में खसरा संख्या 2871, 2873 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में 2/3 हिस्सा वादीगण का है एवं राजस्व अभिलेख में 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 अजनबी क्रेता है जिससे प्रतिवादी जब तक वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराकर आधिपत्य प्राप्त न करले तबतक वादग्रस्त भूमियों में प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि वादग्रस्त भूमियों में 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों में न तो विक्रेता आधिपत्य सिपुर्द कर सकता है न ही प्रतिवादी प्राप्त कर सकता है। ऐसे स्थिति में वादग्रस्त भूमियों में केवल मात्र 1/3 हिस्सा ही विक्रय माना जा सकता है। संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों में विशिष्ठ हिस्सा प्रतिवादी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रतिवादी ने दिनांक 24.02.2024 को वादग्रस्त भूमियों पर आकर वादीगण को विशिष्ठ हिस्से पर कब्जा करने की धमकियां दी। जिससे वादीगण का वाद हेतु दिनांक 24.02.2024 को वमुकाम रेलमगरा उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। प्रतिवादी को वादीगण ने दिनांक 24.02.2024 को प्रथम बार देखा वादग्रस्त भूमियों पर निरंतर निर्विग्न रूप से आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादीगण के आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण विधि की जब तक सम्यक प्रकिया अपनाकर स्वतंत्र अंकन व स्वतंत्र अधिपत्य प्राप्त न करले। प्रतिवादी के द्वारा विधि विरूद्ध वादग्रस्त भूमियो पर अतिकमण करने पर वाद बाहुल्यता बढ जाएगी एवं वादीगण को अपने उपयोग उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप बाधित होगी जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त वाद लाया जाना नितान्त आवश्यक होने से वाद पत्र प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों पर प्रतिवादी किसी प्रकार का अतिकमण कारिन ना करे वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित न करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें। वादीगण को वाद व्यय दिलाया जावे। अन्य समुचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के तामील रजिस्टर्ड ऐडी से कराई गई कोई उपस्थित नहीं जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी अधिकवक्ता द्वारा पीडब्लूय—1 शंकरलाल पिता उदयराम का साक्ष्य प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान यह बताया कि प्रतिवादी 01 अजनबी क्रता है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि में बिना विभाजन के वह प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि वह अत्याचारी है। जिसके सन्दर्भ में सम्पति अधिनियम 1882 की धारा 44 सुप्रिम कोर्ट 2009 का निर्णय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि कोई व्यक्ति अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि में हिस्सा खरीदता है तो वह कब्जे के संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है एवं उसे विभाजन का वाद लाकर कब्जा प्राप्त करना चाहिए था।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य शपथ पत्र, वाद एवं एक पक्षीय बहस आदि का अवलोकन करने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि —

:: आदेश ::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बिन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 व 7)
(Civil Procedure Code Appendix "D")

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, **(RAS)**
पत्रावली संख्या. 54 / 2024
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 03.04.2024
निर्णय दिनांक : 29.01.2026

अनवान

1. शंकरलाल पिता उदा जाति सरगडा निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा, जिला राजमसंद
2. शांतिलाल पिता उदा जाति सरगडा निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद .....वादीगण

बनाम

भगवतीलाल पिता सुखदेव जाति ढोली निवासी लछिपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद .....प्रतिवादीगण

वादः बाबत् निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 को खारिज किया जाता है।

नीज – ..... – .... मुबलिज – ..... – .... बाबत् – ..... – .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर – ..... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ..... – .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अजीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक		मिलान	

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फेरिकेन का चाहे किसी के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा